Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 47–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 14, 2022 (PHALGUNA 23, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 14th March, 2022

No. 13-HLA of 2022/24/5847.— The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13-HLA of 2022

THE HARYANA WATER RESOURCES (CONSERVATION, REGULATION AND MANAGEMENT) AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Amendment) Act, 2022.

Amendment of section 2 of Haryana Act 29 of 2020.

2. In section 2 of the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020 (hereinafter called the principal Act),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ab) "bulk water" means surface water or treated waste water supplied volumetrically whether for the purpose of irrigation or for any other purpose;';

(ii) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ka) "retail supply" means supply by any entity to any individual household, industry or commercial establishment;';

(iii) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:-

'(na) "treated waste water" means treated waste water generated from the treatment of sewerage and effluent waste water;'.

Substitution of section 18 of Haryana Act 29 of 2020.

3. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"18. Tariff for bulk and treated waste water.- (1) The Authority shall decide tariff for bulk water uses of surface water and of treated waste water on the principles of economy, efficiency, equity and sustainability. The tariff shall be based on volumetric measurements of water consumption and shall be designed reasonably.

(2) The Authority shall recommend to the Government retail rates of water for individual household, industry or commercial establishment, supplied by concerned entity.".

Insertion of sections 18A and 18B in Haryana Act 29 of 2020.

4. After section 18 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"18A. Enforcement of policy.- It shall be the duty of the Authority to enforce the policy issued by the Government for re-use of treated waste water from time to time.

18B. Appeal.- (1) An appeal may be preferred to the Government on tariff decided by the Authority under sub-section (1) of section 18, within thirty days from the date of such decision.

(2) The appeal under sub-section (1) shall be made in such form and manner, as may be prescribed.

(3) The Government may, by order, reject the appeal or revise the tariff and the decision of the Government shall be final.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The issue of generation, use and disposal of Treated Waste Water was a subject matter of grave concern. There are number of decisions and conditions regarding reuse of Treated Waste Water. There was need that Treated Waste Water should be optimally used and hence required the implementation and enforcement mechanism. Further, the tariff for all uses of water also needs to be fixed by a single regulatory mechanism so that uniformity in the tariff for all uses of water can be determined. It is also need of the present time that tariff for bulk water and for treated waste water be also determined with transparency and valuation so as to regulate the use of water and treated waste water, with the aim to promote and implement the optimum use of Treated Waste Water.

2. The Haryana Water Resources Authority Act, 2020 was enacted for the conservation, regulation and management of water resource in the State including the reuse and recycling of water.

3. The Bill proposes to amend The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020, so as to provide the tariff for all uses of water and use & disposal of Treated Waste Water, including retail rates, which shall be determined and implemented by the Authority. It is further proposed to provide a provision for enforcement of policy on Treated Waste Water by the Authority.

4. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 13–एच.एल.ए.

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(कख) "बल्क जल" से अभिप्राय है, अनुमापी रूप से उपलब्ध करवाया गया सतही जल या संसाधित अपजल, चाहे सिंचाई के प्रयोजन हेतु हो या किसी अन्य प्रयोजन हेतु हो;';

(ii) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(टक) "खुदरा आपूर्ति" से अभिप्राय है, किसी भी संस्था द्वारा किसी भी व्यष्टिक परिवार, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आपूर्ति;';

(iii) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(ढक) "संसाधित अपजल" से अभिप्राय है, सीवरेज तथा बहिःस्त्राव अपजल के अभिक्रियान्वयन से उत्पन्न संसाधित अपजल;'।

2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 18 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"18. बल्क तथा संसाधित अपजल हेतु टैरिफ.–(1) प्राधिकरण, मितव्ययता, क्षमता, निष्पक्षता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर सतही जल तथा संसाधित अपजल के बल्क जल उपयोग के लिए टैरिफ नियत करेगा। टैरिफ, जल की खपत के अनुमापी मापन पर आधारित होगा और उचित रूप से डिजाईन किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, सरकार को सम्बन्धित संस्था द्वारा व्यष्टिक परिवार, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को उपलब्ध करवाए गए जल की खुदरा दरों की सिफारिश करेगा।"।

2020 के हरियाणा अधिनियम 29 में धारा 18क तथा 18ख का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"18क. पॉलिसी का लागूकरण.– सरकार द्वारा, समय–समय पर, संसाधित अपजल के पुनःउपयोग के लिए जारी की गई पॉलिसी को लागू करने का दायित्व प्राधिकरण का होगा।

18ख. अपील.– (1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए टैरिफ के सम्बन्ध में ऐसे निर्णय की तिथि से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील ऐसे प्ररूप तथा रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) सरकार, आदेश द्वारा, अपील को अस्वीकार कर सकती है या टैरिफ का संशोधन कर सकती है और सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. शोधित अपशिष्ट जल के उत्पादन, उपयोग और निपटान का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था। शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संबंध में कई निर्णय और नियम हैं। इस बात की आवश्यकता थी कि शोधित अपशिष्ट जल का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए और इसलिए कार्यान्वयन और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, पानी के सभी उपयोगों के लिए टैरिफ को भी एक एकलनियामक तंत्र द्वारा निर्धारित करने की आवश्कता है ताकि पानी के सभी उपयोगों के लिए टैरिफ में एकरूपता निर्धारित की जा सके। वर्तमान समय की यह भी आवश्यकता है कि बलकजल और शोधित अपशिष्ट जल के लिए शुल्क भी पारदर्शिता और मूल्यांकन के साथ निर्धारित किया जाए ताकि शोधित जल के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पानी और शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग को विनियमित किया जा सके।

2. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अधिनियम, 2020 पानी के पुनः उपयोग और पुनरावर्तन सहित राज्य में जल संसाधन के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के लिए पारित किया गया था।

3. विधेयक में हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि खुदरा दरों सहित पानी के सभी उपयोगों और उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग और निपटान के लिए टैरिफ प्रदान किया जा सके, जिसे निर्धारित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया। प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाने वाले उपचारित अपशिष्ट जल पर नीति बनाने के लिए प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9523—H.V.S.—H.G.P. Pkl.